न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 49/16 तारीख रजू– 08/03/2016

श्रीचन्द्र पुत्र बदरी जाति मीना निवासी रामगढ़ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,तलाबड़ा । ——— रेस्पो0

निर्णय **दिनांक–14/09/2016**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,तलाबड़ा द्वारा मिसल संख्या 617/14 मे पारित आदेश दिनांक 05/11/15 जिसमे अपीलार्थी को अतिक्रमण करने का आदी होना मानकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27/05/15 के अनुसारण में सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावड़ा ने प्रार्थी के विरूद्व दिनांक 13/10/14 को निर्णय पारित करते हुए दण्डित कर दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय हाजा ने प्रार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 27/05/2015 को निर्णय पारित किया कि अपीलार्थी नायब तहसीलदार के समक्ष अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र पेश करे तथा नायब तहसीलदार मौके पर अतिक्रमण की स्थिति के सम्बन्ध में भौतिक रूप से जांच करावे। उक्त आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने शपथ पत्र कब्जा छोडनें का पेश कर दिया है व भू–अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05/11/2015 को बिना अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिये प्रार्थी अपीलार्थी के गिरफतारी के आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी ने सम्पूर्ण अतिक्रमित रकबे पर से अपना अतिक्रमण शपथ पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हटा लिया था। परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक ने गलत फहमी में भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो मिथ्या होने के कारण अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत निरस्त फरमाया जावें।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 05/11/15 की पालना मे अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान कर व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का दोनों की रिपोर्ट के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2015 द्वारा अपीलार्थी को यह निर्देश दिया गया था कि वह अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र नायब तहसीलदार तलावडा के समक्ष प्रस्तुत करें तथा नायब तहसीलदार तलावडा को मौके पर अतिक्रमण की अवस्थिति के संबंध में भौतिक जांच करवावे अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। लेकिन भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी ने शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् भी अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है।इस संबंध में न्यायालय द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी की उपस्थिती में मौका रिपोर्ट प्राप्त की उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलार्थी का उक्त आराजीयात पर कब्जा पाया गया । जिससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने व अतिक्रमण करने का आदी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे कोई अनियमितता होना प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05/11/15 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर